राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3969 / 2022

जयराम जाट

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय लाल कोठी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.03.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा अपीलार्थी को सीसीए नियम 1958 के नियम–16 के अंतर्गत ज्ञापन व आरोप पत्र जारी किये गये है। अपीलार्थी पुलिस थाना, सांगोद, कोटा में इन्सपेक्टर के पद पर कार्यरत है। एक परिवादी लक्ष्मीनारायण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एसीबी, जयपुर में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर एसीबी द्वारा कार्यवाही कर अपीलार्थी के विरूद्ध चार्ज–शीट प्रस्तुत की गई है, जो चार्ज–शीट अनुलग्नक–2 है। उक्त चार्ज–शीट में अपीलार्थी को आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा–7 एवं 7ए एवं चार्जशीट संख्या 377 / 2021 प्रस्तुत की गई है।

उनका तर्क है कि अपीलार्थी के संबंध में पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है। ऐसे में विभागीय कार्यवाही को जारी रखा जाना उचित नहीं है। समानान्तर विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने से अपराधिक प्रकरण की जांच में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और अपीलार्थी की प्रतिरक्षा प्रकट हो जाएगी। समानान्तर जांच किया जाना उचित नहीं है एवं नियम विरूद्ध है। अतः अपील ग्राह्य कर

आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन स्थगित किया जावे।

हमनें विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

हमारे द्वारा यह विचार किया जाना है कि ज्ञापन दिनांक 22.03.2022 (अनुलग्नक–1) के संलग्न आरोप पत्र में जो तथ्य अंकित है, क्या उन्हीं तथ्यों पर अपराधिक प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं। अपीलार्थी के विरूद्ध जो अपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें यह आरोप है कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत राशि 11000/– रूपये दिनेश मीणा कानि. के जरिये प्राप्त की जा रही थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्तमान में जो आरोप पत्र विभागीय जांच अन्तर्गत नियम 16सीसीए में अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये हैं, उनमें आरोप संख्या–1 यह है कि पुलिस थाना सांगोद में अपीलार्थी के पदस्थापन के दौरान अभियोग संख्या 13/2016, 307/2020, 334/2020, 7/2021 एवं 137/2021 के निस्तारण के सम्बन्ध में सार्थक प्रयास नहीं किये जाने और अनावश्यक रूप से पेंडिंग रखे गए। आरोप संख्या–2 यह है कि पुलिस थाना सांगोद में पदस्थापन दिनांक 25.06.2021 को थाना सांगोद पर पेंडिंग प्रकरणों का पेंडेंसी प्रतिशत 19.59 था, जबकि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पेंडेंसी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए थी और इसी प्रकार पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण में सार्थक प्रयास नहीं किये गए। आरोप संख्या–3 यह है कि अपीलार्थी स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे और निलम्बन होने के पश्चात् निलम्बन मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं दी।

इस प्रकार जो उपरोक्त तीनों आरोप जो विभागीय जांच की विषय वस्तु है, वह पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के तथ्यों से भिन्न है। ऐसे में यह प्रकट नहीं होता है कि विभागीय जांच की कार्यवाही समानान्तर हो और विभागीय जांच किये जाने से अपराधिक प्रकरण की जांच में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यह भी नहीं माना जा सकता कि विभागीय जांच से अपीलार्थी की प्रतिरक्षा प्रकट होगी।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी विभागीय जांच को अपास्त किये जाने का कोई उचित आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इस कारण अपील में कोई बल एवं आधार नहीं होने से अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R